राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प. 3 (2) वित्त / साविलेनि / 2020 जयपुर, दिनांक : 10.11.2025

स्पष्टीकरण

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.07.2025 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को न्यूनतम करने एवं निर्माण कार्यों के समयबद्ध रूप से संपादन करने की दृष्टि से, प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी।

उक्त परिपत्र का बिन्दु संख्या 7 निम्नानुसार है :

"7. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय ही कार्य को विभिन्न वर्गों में (जिसके अनुसार एकाधिक तकनीकी स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित हो) वर्गीकृत किया जाना तथा इसके अन्तर्गत स्वीकृत किये जा रहे कार्यों, उनकी अनुमानित लागत तथा उन्हें पूर्ण किये जाने की अवधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।"

उपरोक्त बिन्दु के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विभागों द्वारा निर्माण कार्य संबंधी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय कार्य की प्रकृति के अनुसार उसका वर्गीकरण (यथा सिविल एवं इलेक्ट्रिक का कार्य) नहीं कर कार्य की सम्पूर्ण राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर एक ही निर्माण खण्ड को उपलब्ध करवा दी जाती है जिससे उस कार्य में सम्मिलित अन्य खण्डीय कार्यालय द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों हेतु कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निर्माण कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों को उपरोक्त समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.07.2025 के अनुसार निर्माण कार्यों के संबंधित जारी होने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को कार्य की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर संबंधित डिवीजनों का इन्द्राज कर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

साथ ही जिन प्रकरणों में पूर्व में बिना वर्गीकरण के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी हो उनमें संबंधित डिवीजन से समन्वय कर संशोधित A&F जारी की जावे।

(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) 302005
Phone : 0141-2227921 website : www.finance.rajasthan.gov.in e-mail : jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-Circular w.e.f. 18.07.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :—

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
10. कोषाधिकारी समस्त ।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
12. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR -111 / 2025)